**UPKS010022502025**

# न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी।

**उपस्थित : जे0पी0यादव (एच.जे.एस.)–UP 6551**

***दाण्डिक निगरानी सं0–93/2025***

मनोज कुमार उम्र लगभग 37 वर्ष पुत्र बैजनाथ निवासी जगन्नाथपुर, थाना मो0पुर पइंसा, जनपद कौशाम्बी।

.....निगरानीकर्ता।

**बनाम**

1. उत्तर प्रदेश राज्य।
2. गुड़िया देवी उम्र लगभग 33 वर्ष पुत्री स्व0 रामप्रसाद निवासिनी ग्राम भगौतापुर, थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी।

.....विपक्षीगण।

निगरानी अन्तर्गत धारा–438 बी.एन.एस.एस.
थाना–मंझनपुर, जनपद–कौशाम्बी।

***निर्णय***

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी परिवाद सं0–1880/2023 गुड़िया देवी बनाम मनोज कुमार आदि, थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी के मामलें में विद्वान् सिविल जज (सी0डि0)/त्वरित न्यायालय/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 22.04.2025 से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा दायर की गयी है।

2. उक्त आलोच्य आदेश जिन परिस्थितियों में पारित किया गया उसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि परिवादिनी गुड़िया देवी द्वारा एक परिवाद दिनांक 17.02.2023 को विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त परिवाद के आलोक में अवर न्यायालय द्वारा परिवादिनी का बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 तथा गवाहान पी. डब्लू.–1 के रूप में गीतादेवी, पी0डब्लू0–2 के रूप में मनराखन व पी0डब्लू0–3 के रूप में उर्मिलादेवी का बयान अंतर्गत धारा–202 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। दिनांक 22.04.2025 को विद्वान् अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध परिवादिनी के बयान अंतर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 एवं गवाहों के बयान अतर्गत धारा–202 दं0प्र0सं0 तथा अन्य अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन करने के उपरान्त अभियुक्त मनोज कुमार के विरूद्ध प्रथमदृष्टया कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए उसको धारा–406 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार उक्त तिथि को प्रश्नगत आदेश विद्वान् सिविल जज (सी0डि0)/त्वरित न्यायालय/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा पारित किया गया।

3. मैने निगरानीकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता, विपक्षी सं0–1 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा विपक्षी सं0–2 के विद्वान् अधिवक्ता तथा के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

4. निगरानीकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता ने तर्क देते हुए कहा है कि अवर न्यायालय ने प्रश्नगत् आदेश पारित करते समय गवाहों के बयानों का सम्यक् अवलोकन नहीं किया है तथा गवाहों के बयानों में काफी विरोधाभाष होने के बावजूद भी तलब करके कानूनी भूल किया है। अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद के पैरा–6 में परिवादिनी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने न्यायालय में हामी भी भर दिया है कि सुलहनामा को स्वीकार भी कर रही है, यदि उसको पैसा नहीं मिला था तो सुलहनामा की शर्तो का अनुपालन न होने के कारण ये सारी बाते परिवादिनी का पारिवारिक न्यायालय में ही बताना था किन्तु परिवादिनी ने मनगढ़न्त बातों का उल्लेख करके दूसरा परिवाद दाखिल करके तलबी आदेश प्राप्त कर लिया है। जबकि परिवादिनी ने इस इजरा वाद सं0–88/17 श्रीमती गुड़िया देवी बनाम मनोज कुमार न्यायालय में सुलह किया है तथा एक अन्य प्रार्थना पत्र धारा–128 दं0प्र0सं0 का मुकदमा सं0–67/19 श्रीमती गुड़िया देवी बनाम मनोज कुमार में दिनांक 07.05.2022 को निर्णय किया जा चुका है। अवर न्यायालय ने प्रश्नगत् आदेश पारित करते समय इन सारे तथ्यों की अनदेखी करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है। अवर न्यायालय के समक्ष परिवादिनी ने महज उसको परेशान करने के उद्देश्य से ही प्रश्नगत् परिवाद दाखिल किया है। अतएव निगरानी स्वीकार किए जाने एवं पारित आलोच्य आदेश को निरस्त किए जाने की याचना की गई है।

5. विपक्षी सं0–1 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क दिया गया है कि विद्वान् अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश मामलें के तथ्यों को देखते हुए विधिक दृष्टि से सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने तथा पारित आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी है।

6. विपक्षी सं0–2 की ओर से उसके विद्वान् अधिवक्ता ने निगरानी के तथ्यों से इंकार करते हुए यह तर्क किया कि अवर न्यायालय ने परिवाद उपरोक्त की पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया है और धारा–200 व 202 दं0प्र0सं0 का परिशीलन किया है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, इसलिए पारित आदेश बहाल रहने योग्य है। उन्होंने विद्वान् अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने एवं निगरानी निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

7. अब यदि प्रश्नगत आदेश का विश्लेषण निगरानी याचिका में वर्णित आधारों, निगरानी पर हुई बहस एवं विधि के आलोक में करें तो प्रश्नगत् आदेश पारित करते हुए विद्वान् अवर न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में यह कहा है कि पत्रावली एवं परिवादिनी के मौखिक साक्ष्य तथा परिवादिनी के साक्षीगण के साक्ष्य से स्पष्ट है कि परिवादिनी द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि मनोज ने खर्च वाले मुकदमें में सुलह का धोखा देकर वाद खारिज करा दिया। सुलह में पैसा देने की बात की थी पर कुछ नहीं दिया। इस प्रकार यह दर्शित होता है कि परिवादिनी द्वारा मात्र अपने पति मनोज से खर्च वाले मुकदमें में सुलह का धोखा देकर वाद खारिज करा दिया। सुलह में पैसा देने

की बात की थी पर कुछ नहीं दिया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध परिवादिनी के बयान अंतर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0, परिवादिनी साक्षीगण के साक्ष्य, समस्त प्रपत्रों एवं परिवाद के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह दर्शित होता है कि विपक्षी उपरोक्त को धारा–406 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त मनोज कुमार को धारा–406 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया है।

8. निश्चित रूप से अवर न्यायालय द्वारा दिया गया उपरोक्त निष्कर्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–203 में निहित विधिक प्रावधानों को देखते हुए विधिक दृष्टि से सही प्रतीत होता है। क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–203 में प्रयुक्त शब्दावली पर्याप्त आधार (**Sufficient ground**) से तात्पर्य यह है कि–

The words "Sufficient ground" have been construed to mean the satisfaction that prima facie case is made out against the person accused by the evidence of witnesses entitled to reasonable degree of credit and not Sufficient groung of conviction. The purpose of the section is to ascertain whether there is evidence in support of the complaint so as to justify the issue of process. (**S.W. Palanitkar Vs State of Bihar, A.I.R. 2001 S.C. 2960**). ऐसा ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Bhushan Kumar Vs State NCT of Delhi, A.I.R. 2012 S.C. 1747** एवं **Nupur Talwar Vs CBI, A.I.R. 2012 S.C. 1921** के मामलों में भी अवधारित किया गया है। उपरोक्त विधिक सिद्धान्तों के आलोक में प्रश्नगत आदेश को देखें तो प्रश्नगत् आदेश विधि एवं तथ्यों की दृष्टि से सही है, क्योंकि विद्वान् अवर न्यायालय ने प्रश्नगत् आदेश में परिवादिनी के बयान अंतर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 तथा परिवादिनी की ओर से धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित पी.डब्लू.–1 गीतादेवी, पी0डब्लू0–2 मनराखन व पी0डब्लू0–3 उर्मिलादेवी का उल्लेख करते हुए यह निष्कर्षित किया है कि इस स्तर पर प्रथमदृष्टया यह दर्शित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–406 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है। निश्चय् ही विद्वान् अवर न्यायालय द्वारा दिया गया उपरोक्त निष्कर्ष मामलें के तथ्यों को देखते हुए पूर्णतया सही है। क्योंकि परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद में यह कहा गया है कि उसकी शादी दिनांक 19.05.2011 को मनोज के साथ हुई थी। दहेज की मांग को लेकर ससुरालीजनो से विवाद हो गया था, जिसका मुकदमा प्रधान परिवार न्यायालय कौशाम्बी में भरण पोषण का वाद सं0–88/2017 गुड़ियादेवी बनाम मनोज कुमार दाखिल है। उपरोक्त मुकदमा कुछ दिन चला तो उसकी सास उन्सी देवी व जेठानी श्रीमती ने कहा कि हमसे डेढ़ लाख रूपये ले लीजिए तथा दहेज का सामान भी ले लीजिए और अलग–अलग जीवन व्यतीत करने के लिए समझाने बुझाने लगी। उसके राजी होते ही उक्त न्यायालय में कागजात पर उसके हस्ताक्षर करा लिये तथा फोटो भी ले लिया और कहा कि जब साहब पूछे कि रूपया मिल गया तो कह देना कि मिल गया और न्यायालय के बाहर तुमको डेढ़ लाख रूपये तथा दहेज का पूरा सामान वापस कर दूंगा। वह उनके झांसे में आकर न्यायलाय में हामी भी कर लिया लेकिन न्यायालय के बाहर ससुरालीजन उससे मिले और कहे कि पैसा निकालने मंझनपुर ए.टी.एम. भेजा है, रूपया आ रहा है। उसने शाम तक

इन्तजार किया लेकिन रूपया नहीं मिला और न ही दहेज का सामान मिला। इस तरह उसके ससुरालीजनों ने धोखाधड़ी से सुलह समझौता द्वारा मुकदमा उपरोक्त का निस्तारण करा लिया और एक रूपया व दहेज का कोई सामान नहीं दिया। उक्त परिवाद के समर्थन में परिवादिनी के द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में यह कथन किया गया है कि उसका विवाह मनोज के साथ हुआ था। शादी के बाद 3–4 माह अच्छे से बीते पर उसके बाद पति डील डौल व रंग को लेकर मारने पीटने व प्रताड़ित करने लगे। ससुर व जेठ जिनकी मृत्यु हो गयी है तथा सास उन्सी देवी व श्रीमती ने मिलकर दहेज में एक भैस व एक लाख रूपये के लिए मारपीट करने लगे। गाली गलौज करते थे। मायके में 12 वर्ष से रह रही है। उसके बच्चे नहीं है। 2013 में खर्च वाले मुकदमें में सुलह करके पति उसे ससुराल ले गये वहां ये 05 माह तक रही पर दोबारा उसे मायके भेज दिया। मनोज से खर्च वाले मुकदमें में सुलह का धोखा देकर वाद खारिज करा दिया। सुलह में पैसा देने की बात की थी पर कुछ नहीं दिया। इसी प्रकार के बयान उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण पी.डब्लू.–1 गीतादेवी, पी0डब्लू0–2 मनराखन व पी0डब्लू0–3 उर्मिलादेवी ने भी अपने–अपने बयान अंतर्गत धारा–202 दं0प्र0सं0 में किया है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय ने परिवाद में किये गये कथनों तथा परिवादिनी एवं उसकी ओर से परीक्षित साक्षियों के बयानों का सम्यक् ढंग से अवलोकन किया है। निश्चय ही उपरोक्त समस्त विधि व्यवस्थाओं एवं मामलें के समस्त तथ्यों को देखते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत् आदेश विधिक दृष्टि से सही प्रतीत होता है।

9. अतः उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त यह न्यायालय इस निश्चित मत पर पहुंचता है कि विद्वान् अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नही किया है। इसलिए प्रश्नगत् आदेश यथावत् रहने योग्य है और प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त होने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

तद्नुसार प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है और प्रश्नगत् आदेश दिनांकित 22.04.2025 की पुष्टि की जाती है। इस निर्णय की एक प्रति संबंधित अवर न्यायालय को भेजी जाय।

निगरानीकर्ता उपरोक्त दाण्डिक वाद में पूर्व से नियत तिथि को मामले की अग्रिम कार्यवाही हेतु अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

दिनांक : 10.06.2026

(जे0पी0यादव)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
**ID No. UP 6551**

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 10.06.2026

(जे0पी0यादव)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
**ID No. UP 6551**



Digitally signed by JAI PRAKASH YADAV
Date: 2026.06.16 19:24:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court